न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 136/2012

पतराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

..प्रार्थी

बनाम

लिछमणराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित नियम 21 स्थायी आंवटन नियम 1975

उपस्थिति :–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी
2. पैरोकार राज

– : : निर्णय : : –

दिनांकः–30.10.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 'प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो जन्म से ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ़ के निवासी हैं तथा आपस में भतीजा व काका भी हैं। अप्रार्थी लिछमणराम पुत्र रावताराम जाट निवासी रघुनाथपुरा के नाम से चक 24 एस.डी. खाता न. 60/58 में 14 बीघा तादादी 3.175 हैक्टेयर खातेदारी कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अप्रार्थी लिछमणराम पुत्र रावताराम के नाम से चक 4 बीकेएसएम खाता न. 150 में 8 बीघा अ.क. खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी लिछमणराम पुत्र रावताराम के नाम से चक 5 आर.एम. में संयुक्त खाता न. 69/69 में 8 बीघा कमाण्ड खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें से 2 बीघा कमाण्ड भूमि हिस्सा में आती हैं। अप्रार्थी लिछमणराम के नाम से 20 बीघा कमाण्ड भूमि खातेदारी स्थाई आंवटन से पूर्व ही धारण में थी। इसके बावजूद उक्त खातेदारी भूमि को छिपाकर अप्रार्थी लिछमणराम ने चक 24 एसडी खाता न. 59/57 की 8 बीघा कमाण्ड भूमि कीमतन पुख्ता आवंटन करवाई हैं। लिछमणराम काफी समृद्धशाली, प्रभावशाली एवं राजनैतिक हस्तक्षेप से अनुचित लाभ उठाने का भौकिन हैं। अप्रार्थी लिछमणराम ने चक 4 बीकेएसएम खाता न. 1/2 आराजीराज वन विभाग की भूमि पत्थर नम्बर 95/11 की 17 बीघा, पत्थर नम्बर 95/12 की 10 बीघा कुल 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा हैं। अदालत आंवटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करके राजनैतिक प्रभाव से स्थगन आदेश ले रखा है। गत 15 वर्षो से उक्त 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर लाभ उठा रहा हैं एवं स्थगन आदेश दिनांक 11.04.2012 के सहारे सिचांई सुविधा भी प्राप्त कर रखी हैं। स्थायी आवंटन नियम 21–22 के तहत उक्त पत्रावली मंगवाकर तुरन्त खारिज की जा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

एवं सिचांई सुविधा बन्द की जावे। अप्रार्थी लिछमणराम के खिलाफ तथ्य छिपाना, सरकार को धोखा देकर स्थाई आंवटन करवाना, राजनैतिक प्रभाव एवं समृद्धता का प्रभाव से नियम विरूद्ध भूमि पर अतिक्रमण कर सिंचाई सुविधा एवं फसल फायदा उठाने का आरोप पूर्णतया साबित है। अतः निवेदन हैं कि अप्रार्थी लिछमणराम के नाम चक 24 एसडी खाता न. 59/57 की 8 बीघा कमाण्ड भूमि का स्थाई आंवटन खारिज किया जावे। उक्त रकबाराज घोशित किया जावे। चक 4 बीकेएसएम खाता न. 1/2 आराजीराम वनविभाग की भूमि की सिचांई सुविधा तुरन्त खारिज की जावे। मौजूदा फसल कुर्क की जाकर नीलाम की जावे। गत 15 वर्षो का दोनो फसलो का 50 गुणा तावान कायम करने का आदेश फरमाये। तथ्य छिपाने के फलस्वरूप फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश देने के बाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 18.09.2012 को अप्रार्थी को आगामी आदेश तक पाबन्द किया गया कि जैरप्रकरण उक्त वर्णित चक 24 एस.डी. के पत्थर नम्बर 59/57 के किला नम्बर 18 ता 25 की 1.721 हैक्टेयर भूमि को रहन–बैय एवं मुन्तकिल न करें।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब करने पर हाजिर अदालत आये व अप्रार्थी न. 1 लिछमणराम ने अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रार्थना पत्र का जवाव प्रस्तुत किया गया जो भामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने निवेदन किया कि चक 24 एसडी का जो रकबा अप्रार्थी के नाम से हैं वह रिकार्ड अनुसार सही नहीं है। अप्रार्थी का रकबा 3.175 हैक्टेयर है जिसमें गै.मु. खाला 0.025 हैक्टेयर कम करने पर 12.09 बीघा ही बनता है। चक 4 बीकेएसएम में 8.00 बीघा अनकमाण्ड रकबा बताया है जो गलत हैं। इस चक में 7.02 बीघा रकबा अनकमाण्ड रकबा ही अप्रार्थी के नाम से हैं। 7.02 बीघा अनकमाण्ड रकबा 3.11 बीघा कमाण्ड रकबा के बराबर हैं। चक 5 आर.एम. में सांझे खाते में रकबा में 2 बीघा कमाण्ड रकबा हिस्सा में आना बताया हैं जबकि चक 5 आर.एम. के खाता न. 69/69 में 1.4940 हैक्टेयर कमाण्ड रकबा हैं जिसमें अप्रार्थी के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज होने से 0.3735 हैक्टेयर यानि 1.10 बीघा कमाण्ड रकबा ही हिस्सा में दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर कब्जा का त में हैं। प्रार्थी का यह कथन सही नहीं हैं कि अप्रार्थी के पास 20 बीघा कमाण्ड भूमि होते हुए चक 24 एस.डी. में 8 बीघा कमाण्ड रकबा गलत आवंटन करवाया हैं। चक 24 एस.डी. में 1.7210 हैक्टेयर रकबा ही आवंटित होकर खातेदारी हुआ हैं जो 6.19 बीघा कमाण्ड रकबा के बराबर हैं जबकि प्रार्थी गलत रूप से 8 बीघा कमाण्ड रकबा आवंटन होना बता रहा हैं। अप्रार्थी को रकबा आंवटन हुए करीब 35 वर्षो से अधिक समय हो गया हैं जो रकबा उस समय मुझ अप्रार्थी के हिस्से में आता था वह पैतृक रकबा था उसमें मुझ अप्रार्थी के पुत्रों व पुत्रियों का भी हिस्सा था। रकबा आवंटन के समय बहुत उबड़ खाबड़ व ना काबिल का त था जिसको मुझ अप्रार्थी व पूरे परिवार ने मिल कर उसे भारी खर्चा लगाकर व कड़ी मेहनत करके सुधार कर काबिल का त किया गया हैं। श्रीमान जी की अदालत द्वारा प्रार्थी की झुठी शिकायत पर रकबा को रहन बैय नहीं करने का आदेश पारित किया गया हैं जो कानून सम्मत नहीं हैं क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बैंको के माध्यम से व सहकारी समितियो के माध्यम से अपनी भूमि की पैदावार बढ़ाने के लिए, ट्युबवैल लगाने के लिए व ट्रेक्टर व कृषि के अन्य औजार खरीदने के लिए व भूमि को समतल करने के लिए बिना ... की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती हैं, अप्रार्थी इन सभी सुविधाओं ... हो गया हैं। प्रार्थी शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन आदेश की प्रति ... नहीं की हैं व न ही कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया ... आवंटन की पत्रावली में क्या तथ्य दर्ज करवाये गये थे व उनको झूठा साबित करने के लिए शिकायत के साथ क्या साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। महज झूठे तथ्यों के आधार पर एक शिकायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:05:07 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत कर दी है। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी द्वारा की गई शिकायत झूठे तथ्यों पर आधारित होने बिना सबूत व साक्ष्य के प्रस्तुत की गई है जो तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जावे व मुझ अप्रार्थी को बिना वजह तंग करने व मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए हर्जाना दिलवाया जावे व प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाकर सजा दिलवाई जावे ताकि भविश्य में न तो अदालत का कीमती समय नश्ट करे व न ही किसी अन्य काश्तकार को बिना वजह तंग व परेशान करे।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 06.09.2023 को फर्द अहकाम पर No Instruction अंकित किया।

बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी न. 1 ने अपनी बहस में मुख्य रूप से जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया अप्रार्थी द्वारा अपने को आवंटित तथा अपने नाम से दर्ज रकबा का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया है, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के मूल रकबा को बढ़ा कर लिखा जो अप्रार्थी के आंवटन या उसके नाम से दर्ज रकबा से ज्यादा बताया हैं। शिकायतकर्ता ने कहा हैं कि अप्रार्थी ने तथ्य छिपा कर रकबा आवंटन करवाया हैं तो उसके लिए आवंटन नियम 1975 के नियम 21 में प्रावधान किया हुआ हैं कि तथ्य छिपाकर कोई रकवा आवंटन करवाया जाता हैं तो आंवटन अधिकारी को आवंटन नियम 21 के तहत शिकायत के तथ्य सही पाये जाने पर आवंटन निरस्त किया जा सकता हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र धारा 11/14 श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अपने कथन की पुष्टि में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाशक ने कोलो. एक्ट की धारा 11/14 को पढकर बहस की व बताया कि धारा 11/14 व आवंटन नियम 1975 के नियम 21 में अन्तर हैं। धारा 11 में का तकारी भार्तो को भंग करने पर व धारा 14 में पेनल्टी का प्रावधान हैं व नियम 21 में उस आंवटन को निरस्त करने का प्रावधान हैं जिसमें अलोटी ने तथ्य छिपाकर रकबा आवंटन करवाया गया हो तो उसको आंवटन अधिकारी ही निरस्त कर सकेगा। अपने कथन की पुष्टि में RBJ 2016 पेज 404 SC, RRD1980 पेज 5, RRD 2001 पेज 126 व 133, 206, RRD 1994 पेज 1128, RRD 2003 पेज 237, RRD 1995 पेज 780 के उद्धरण प्रस्तुत किये। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की यह भी बहस हैं कि आंवटित रकबा के जब खातेदारी अधिकार जारी हो जाते हैं तो उस रकबा पर आवंटन नियमों की शर्तें लागू न होकर का तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होगें। अगर अलोटी ने कोई तथ्य छिपाये हैं तो भी आंवटन के लम्बे समय के बाद व खातेदारी अधिकार जारी होने के बाद आंवटन के लम्बे समय के बाद व खातेदारी अधिकार जारी होने के बाद आवंटन को निरस्त किया जाना ट्रेवेस्टी ऑफ लॉ व प्राकृतिक न्याय के स्थान पर अन्याय होगा चूंकि इतने लम्बे समय में रकबा को कड़ी मेहनत करके सुधारा जाता हैं व उस रकबा पर अलोटी के पूरे परिवार का भरण पोषण टिका हुआ होता हैं। अपने समर्थन में उच्च न्यायालयों के निर्णयों की चित्रप्रतियां प्रस्तुत की गई :-

RRD 1995(2) पेज 780 HC पेरा 7
AIR 1994 पेज 1128 पेरा 7
RRD 1995 पेज 697
RRD 1999 पेज 128
RBJ 2001 पेज 125
RRT 2001 पेज 29
RBJ 2016(2) पेज 102 पेरा 6-7-10-11

शिकायतकर्ता कहीं भी यह सिद्ध नहीं कर [illegible] कि अप्रार्थी ने तथ्य छिपाकर जैरप्रकरण भूमि का आवंटन करवाकर ग[illegible] तरीके [illegible] खातेदारी अधिकार जारी करवाये हैं। इसलिए प्रार्थी की शिकायत अदाल[illegible] के अधिकार क्षेत्र में नहीं होने व आवंटन के [illegible] छिपाये गये व वर्शो पूर्व जैर प्रकरण रकबा के खातेदारी अधिकार जारी हो[illegible]ने के बाद आंवटन या

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी रकबा को धारा 11/14 कोलो एक्ट या आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत खारिज नही किया जा सकता इसलिए शिकायत प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन व मनन किया गया व विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत उच्च अदालतों द्वारा पारित निर्णयों को भी सम्मानपूर्वक पढ़ा जाकर मनन किया गया।

प्रार्थी अपनी जैरप्रकरण शिकायत में कहीं भी यह सिद्ध नहीं कर पाया हैं कि अप्रार्थी ने तथ्य छिपाकर या धोखे से रकबा आवंटन करवाया हो। अप्रार्थी पचीस बीघा कमाण्ड अथवा पचास बीघा अनकमाण्ड रकबा को आवंटन करवाने की पात्रता रखता हैं। जबकि अप्रार्थी को 24.07 बीघा रकबा की आंवटन/खातेदारी जारी की हुई हैं जिसमें किसी प्रकार की अनिमियता नहीं पाई हैं। अप्रार्थी ने पिछले 35 वर्शो से कड़ी मेहनत करके रकबा को सुधारकर काबिल काश्त किया हैं। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों व नियमों का अवलोकन करने के पश्चात् यह पाया गया हैं कि प्रार्थी ने जो अप्रार्थी के विरूद्ध यह शिकायत की हैं कि उसने तथ्य व अपने पिता से प्राप्त होने वाले हिस्सा की भूमि को छिपाकर रकबा आवंटन करवाया हैं। वह तथ्य सिद्ध करने में असफल रहा हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष में व उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों व संलग्न टी.सी. आवंटन/पुख्ता आवंटन/खातेदारी जारी की पत्रावलीयों का व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों व विभिन्न उच्च अदालतों द्वारा पारित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अध्ययन व मनन करने के उपरान्त अदालत इस निर्णय पर पंहुची हैं कि प्रार्थी शिकायकर्ता का प्रार्थना पत्र धारा 11/14 का जैरप्रकरण भूमि पर लागू नहीं होने व शिकायत के बिन्दुओं को सिद्ध नहीं कर पाने से व अप्रार्थी द्वारा कोई तथ्य छिपाकर आंवटन नहीं करवाया हुआ होने से शिकायत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं एवं इस अदालत द्वारा जारी एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 18.09.2012 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अदालत मातहत का रिकार्ड, मय निर्णय प्रति लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner